भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 393

04 फरवरी, 2022 के लिए प्रश्न

राशन कार्ड को रद्द किया जाना

393. **श्री मल्लिकार्जुन खरगे;**

श्री जॉन ब्रिटासः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आधार से जुड़े न होने के कारण अब तक तीन करोड़ से अधिक राशन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं;

(ख) यदि हाँ, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और आदिवासी/उपांत समुदायों के लोगों से संबंधित कितने राशन कार्ड रद्द किए गए हैं;

(ग) क्या ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ दूरस्थ/ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों में आधार सत्यापन के लिए उंगुलियों की छाप/आँख की पुतली के स्कैनर ने काम नहीं किया और जिसके परिणामस्वरूप कार्ड रद्द हो गए;

(घ) यदि हाँ, तो सरकार की इस प्रकार से गलत ढंग से कार्ड रद्द होने को रोकने की क्या योजना है; और

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान चार महानगरों में से प्रत्येक में प्रवासी कामगारों के लिए कितने राशन कार्ड पंजीकृत किए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत लाभार्थियों के आधार से न जुड़े होने के कारण उनके राशन कार्डों को रद्द अथवा हटाया नहीं जा सकता है। इसके अलावा, आधार अधिनियम 2016 की धारा-7 का प्रयोग करते हुए विभाग ने दिनांक 08.02.2017 को जारी अधिसूचना (समय-समय पर यथासंशोधित) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई समय-सीमा को 31.03.2022 तक बढ़ा दिया है ताकि राशन कार्डों को आधार के साथ पूरी तरह से जोड़ा जा सके। तथापि, तकनीक आधारित टीपीडीएस प्रोग्राम के अंश के रूप में और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्ड डाटा के डिजिटीकरण, डिजिटल डाटा के निरंतर डी-डुप्लीकेशन, लाभार्थियों के स्थायी प्रवास/मृत्यु, अपात्र/डुप्लीकेट/जाली राशन कार्डों की पहचान आदि की सतत प्रक्रिया के कारण, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने वर्ष 2014 से वर्ष 2021 तक की अवधि के दौरान अब तक लगभग ऐसे 4.28 करोड़ जाली राशन कार्डों को रद्द करने की रिपोर्ट दी है। तद्नुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान, समाजिक स्थिति का ध्यान दिए बिना रद्द किए गए राशन कार्डों की वर्ष-वार संख्या नीचे तालिका में दर्शाई गई है:

वर्ष	2018	2019	2020
रद्द किए गए जाली राशन कार्डों की संख्या (लाख में)	59.9	24.2	22.3

.....2/-

(ग) और (घ): विभाग के दिनांक 24.10.2017 और 08.11.2018 के मौजूदा निर्देशों के अनुसार, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह परामर्श दिया गया है कि किसी भी वास्तविक लाभार्थी/परिवार को पात्र परिवारों की सूची से नहीं हटाया जाए और केवल आधार संख्या उपलब्ध न होने, केवल आधार संख्या धारण न करने, नेटवर्क/कनेक्टिविटी/लिंकिंग समस्याओं अथवा अन्य तकनीकी कारणों आदि की वजह से एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों की उनकी पात्रता के कोटा प्रदान करने से मना नहीं किया जा सकता है।

(ङ): सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सुधारों के तहत प्रौद्योगिकीय संचालित एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना सभी एनएफएसए लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थियों, को खाद्यान्नों का उठान करते समय बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणन के साथ अपने मौजूदा/उसी राशन कार्डों का इस्तेमाल करते हुए देश में इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ई-पीओएस) उपकरण समर्थित किसी भी उचित दर दुकान (एफपीएस) से अपनी पात्रता के खाद्यान्नों का निर्बाध रूप से उठान करने की अनुमति प्रदान करता है। इसलिए, ओएनओआरसी के तहत राशन कार्डों की पोर्टिबिलिटी के लिए पंजीकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

*****